Food for Work Programme in Andhra Pradesh

454. SHRI GHOUSE MOHIUDDIN SHEIKH: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state the names of the works undertaken in Andhra Pradesh under the Food for Work Programme, which remained incomplete upto 31st August, 1982?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI BALESHWAR RAM): Scheme-wise details are not maintained at the Central Government level.

एन० ग्रार० ई० पी० (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) तथा टी० ग्रार० वाई० एस० ई० एम० (स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवा वर्ग को प्रशिक्षण) हेतु ग्रावंटन

455. **श्री राम भगत पासवान : क्या ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एन0ग्रार0ई0पी0 (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम) तथा टी0ग्रार0वाई0 एस0ई0एम0 (स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवा वर्ग को प्रशिक्षण) योजनाग्रों के ग्रन्तर्गत चालू बजट में कितनी-कितनी राशि ग्रावंटित की है ;

(ख) इन योजनाग्रों के ग्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को कितनी राशि ग्रावंटित की है ; ग्रौर

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त योजनाग्रों के ग्रन्तर्गत बिहार में दरभंगा जिले के लिए भी निधियां ग्रावंटित की गई हैं, यदि हां, तो कितनी राशि ग्रावंटित की गई ग्रौर क्या उपर्युक्त राशि का उपयोग कर लिया गया है ग्रौर यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या

कृषि ग्रौर ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के ग्रन्तर्गत वर्ष 1982–83 के लिए केन्द्रीय बजट में कुल 190 करोड़ रुपए की धनराशि सुलभ की गई है। जहां तक ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राईसेम) का सम्बन्ध है, वजीफों पर होने वाले ग्रावर्ती व्यय, प्रशिक्षण व्यय तथा प्रशिक्षण के बाद सहायता ग्रादि को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधियों में से वहन किया जाता है जो राज्य सरकारों के पास खण्ड ग्रनुदानों के रूप में उपलब्ध है। गैर-ग्रावर्ती व्यय जो कि विद्यमान प्रशिक्षण ग्राधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए है, के लिए वर्ष 1982–83 हेतु केन्द्रीय बजट में 1.50 करोड़ रुपए की धनराशि ग्रावंटित की गई है।

(ख) चालू वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों के लिए ग्रावंटित 90.6 करोड़ रुपए की धनराशि में से बिहार सरकार को 12.10 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। शेष दो तिमाहियों के लिए ग्राबंटित प्रथम दो तिमाहियों के वास्तविक निष्पादन पर निर्भर होगा। ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राईसेम) के ग्रन्तर्गत ग्रावर्ती व्यय के मामले में राज्य सरकार द्वारा खण्ड निधियों में से जिसके लिए कोई विशिष्ट धनराशि निर्धारित नहीं की गई है, सहायता प्राप्त की जा सकती है। गैर-ग्रावर्ती ग्रावंटन के मामले में भी, जब भी राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, ग्रावंटन निर्धारित किया जाता है। चालू वर्ष के लिए बिहार सरकार ने ग्रभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मामले में केन्द्र द्वारा निधियों के कोई जिले-वार ग्रावंटन नहीं किए जाते हैं। इसी प्रकार, विद्यमान ग्राधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की योजना में ट्राइसेम के ग्रन्तर्गत निधियों के कोई जिले-वार ग्रावंटन नहीं किए जाते हैं।